



दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
South East Central Railway
कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर
Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



No.E/PB/R/RCT/Re-Engagement/2026

Date:-10.01.2025

अधिसूचना(NOTIFICATION)

रायपुर मंडल के अंतर्गत यातायात स्तर समपार फाटकों एवं स्टेशनों पर पॉइंट्समैनगेटमैन/ के रूप में कार्य कराने हेतु केवल अनुबंध के आधार पर 01 वर्ष की अवधि के लिए 120 भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है।
(संदर्भ रेलवे बोर्ड का पत्र सं : E(NG)II/2021/RC-4/1 दिनांक 10.12.2025 एवं 09.01.2026, PCPO/SECR का पत्र सं. P/HQ/RCT/Re-engagement/e-210661/104 दिनांक 24.12.2025, PCPO/SECR का पत्र सं. P/HQ/RCT/Re-engagement/e-210661/108 दिनांक 29.12.2025 तथा PCPO/SECR का पत्र सं. P/HQ/RCT/Re-engagement/e-210661/103 दिनांक 30.12.2025)। अतः रायपुर मंडल में पॉइंट्समैनगेटमैन/ के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

.1 पात्रता (Eligibility)

अधिसूचना की तिथि को पात्रता मानदंड:

- सेना वायुसेना से सेवानिवृत्त/नौसेना/भूतपूर्व सैनिक अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
- सेवा से हटाए गए/बर्खास्त किए गए भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
- यदि पर्याप्त संख्या में भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने के कारण कार्मिकों की कमी रह जाती है, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Ex-CAPF) एवं अर्धसैनिक बलों जैसे BSF, CRPF, CISF आदि से सेवानिवृत्त कर्मियों पर भी विचार किया जाएगा।
- जो अभ्यर्थी अधिसूचना की तिथि को या उसके बाद सेवा से मुक्त होने वाले हैं (डिस्चार्ज), वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

2. आयु (Age):

अधिसूचना की तिथि को भूतपूर्व सैनिक की आयु 55 वर्ष पूर्ण नहीं हुई होनी चाहिए, तथापि अन्य शर्तों की पूर्ति किए जाने पर ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

3. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification):

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (या समकक्ष सेना शिक्षा) होनी चाहिए। (

4. चिकित्सीय परीक्षण (Medical Examination):

अनुबंध पर लगाए गए भूतपूर्व सैनिक संबंधित चिकित्सीय श्रेणी अर्थात् A-2 (एडू- में फिट होने चाहिए।

5. भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया (Procedure for Engagement of Ex-Servicemen):

- पैनल का गठन भूतपूर्व सैनिक की सैन्य सेवा अवधिविच्छेद/ के आधार पर किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर द्वारा निर्दिष्ट तिथि, समय एवं स्थान पर सभी संबंधित मूल प्रमाणपत्रों के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा।
- दस्तावेज सत्यापन में सफल भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।
- जो भूतपूर्व सैनिक वर्तमान में सरकारी विभाग/पीएसयू/ में कार्यरत हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय "अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)" प्रस्तुत करना होगा तथा रेलवे में नियुक्ति के लिए चयन होने पर अपने वर्तमान संगठन से त्यागपत्र देना होगा।

6. प्रशिक्षण (Training):

आवश्यक चिकित्सीय श्रेणी में चिकित्सकीय रूप से फिट पाए गए भूतपूर्व सैनिकों को कार्यरत पद पर लगाए जाने से पूर्व रेलवे द्वारा निर्धारित अवधि के लिए आवश्यक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान पैरा-8 में उल्लिखित समेकित पारिश्रमिक देय होगा। प्रशिक्षण स्थल तक यात्रा, ठहरने/आवास आदि की व्यवस्था भूतपूर्व सैनिकों को स्वयं करनी होगी।

7. प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज (Certificates and Documents to be submitted):

भरा हुआ आवेदन पत्र (परिशिष्ट-'A') तथा निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां—

1. आधार कार्ड; 2. भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र, 3. डिस्चार्ज प्रमाणपत्र, 4. पैन कार्ड, 5. बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ
6. शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र/दसवीं/कम से कम मैट्रिक/SSLC उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाणपत्र(, 7. पेंशन भुगतान आदेश (PPO)/सेवा प्रमाणपत्र.

8. समेकित मासिक पारिश्रमिक (Consolidated Monthly Remuneration):

पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय होगा, जिसमें सम्मिलित होगा—

(आगे विवरण अपेक्षित है)

क्रम सं.	विवरण	Y श्रेणी शहर हेतु मासिक पारिश्रमिक	Z श्रेणी शहर हेतु मासिक पारिश्रमिक
1.	लेवल-1 का मूल वेतन	18000/-	18000/-
2.	महंगाई भत्ता)DA @ 58%)	10440/-	10440/-
3.	मकान किराया भत्ता)HRA @ 20% Y श्रेणी & 10% Z श्रेणी शहर हेतु)	3600/-	1800/-
4.	वर्दी भत्ता)₹6,250/12)	520/-	520/-
5.	परिवहन भत्ता (न्यूनतम TA ₹900 + ₹900 का 58%)	1422/-	1422/-
	कुल राशि	33,982/-	32,182/-

a) मासिक पारिश्रमिक में समय-समय पर महंगाई भत्ता (DA) की प्रतिशत वृद्धि के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

b) अनुबंध के आधार पर पॉइंट्समैन/गेटमैन के रूप में लगाए गए भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध अवधि के दौरान प्रति वर्ष 10 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। किसी भी अवधि की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक से अनुपातिक कटौती की जाएगी। अनुबंध अवधि समाप्त होते ही अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा उसे अगले अनुबंध में आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

c) यह अनुबंधीय नियुक्ति होने के कारण किसी भी अभ्यर्थी (SC/ST अभ्यर्थियों सहित) को कोई प्रिविलेज पास/PTO अथवा यात्रा प्राधिकरण प्रदान नहीं किया जाएगा।

d) चयनित भूतपूर्व सैनिक रायपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी तैनाती के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिक सैन्य सेवा अवधि वाले एवं रायपुर मंडल में कहीं भी कार्य करने के लिए इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

9. नियुक्ति की अन्य शर्तें (Other Conditions of Engagement):

a) अनुशंसित अभ्यर्थियों को (सफल चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात) अनिवार्य प्रशिक्षण में शामिल होने से पूर्व ₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को वास्तविक कार्य हेतु तैनात किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण में असफल होंगे, उन्हें कार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जाएगा तथा उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा।

b) कार्य के घंटे, जिस गेट/स्टेशन पर तैनाती होगी उसके अनुसार, प्रतिदिन 12 घंटे/08 घंटे होंगे।

c) इयूटी के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को रेलवे द्वारा निर्धारित वर्दी एवं अन्य उपकरण पहनना अनिवार्य होगा।

d) यह नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी तथा इससे रेलवे में किसी भी प्रकार की नौकरी/लाभ/विशेषाधिकार के लिए कोई लाभ या वरीयता नहीं मिलेगी।

e) नियुक्ति का अनुबंध प्रशिक्षण की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जो प्रशिक्षण के सफल समापन के अधीन होगा अथवा RRB/RRC/नियमित चयन/पदोन्नति के माध्यम से नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो)।

f) आवश्यकता होने पर तथा प्रदर्शन एवं भूतपूर्व सैनिक की सहमति के आधार पर, कैडर में उपलब्ध स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति को प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 31.12.2028 तक। क्रमिक अनुबंधों के बीच उपयुक्त विराम (07 दिन) सुनिश्चित किया जाएगा।

g) यदि नियुक्त व्यक्ति का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्रशासन को बिना पूर्व सूचना उसकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा तथा उसकी नियुक्ति अवधि के दौरान निम्नलिखित दंड प्रावधान लागू होंगे।

10. दंड प्रावधान (Penalty Clause):

क्रम सं.	कदाचार)Misconduct	दंड)Penalty
1.	गेट संचालन नियमों का पालन न करना	i. संबंधित एओएम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात ₹2000/- का जुर्माना, या ii. संबंधित एओएम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात ₹5000/- का जुर्माना, या iii. परिस्थितियों के अनुसार संबंधित एओएम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात सविदा समाप्ति।

11. पॉइंट्समैन/गेटमैन के कर्तव्य (संक्षेप में):

अनुबंध के आधार पर नियुक्त एवं प्रशिक्षित पॉइंट्समैन/गेटमैन रेलवे अधिनियम के अनुसार कार्य करेंगे तथा भारतीय रेलवे दैनिक कोड एवं सामान्य नियम (ओपन लाइन) में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में स्थित रेलवे लाइनों पर स्टेशनो एवं समपार फाटको पर कार्य हेतु अनुबंधित श्रुतपूर्ण सैनिकों को पॉइंट्समैन/गेटमैन के रूप में तैनात किया जाएगा। उनके संक्षिप्त कर्तव्यों का विवरण परिशिष्ट-8 में दिया गया है।

12. सामान्य शर्तें (General Conditions):

a) वेतन मैट्रिक्स स्तर (PML)-1 के पदों हेतु श्रुतपूर्ण सैनिकों के अनुबंध पूर्णकालिक आधार पर होंगे तथा वे रेलवे क्वार्टर, पिविलेज/कॉम्प्लीमेंट्री पास आदि के हकदार नहीं होंगे।

b) इयूटी के दौरान आवश्यक यात्रा के लिए इयूटी पास प्रदान किया जा सकता है। वे द्वितीय श्रेणी (II क्लास) इयूटी पास के हकदार हो सकते हैं।

c) अनुबंधित कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश एवं राष्ट्रीय अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, प्रशासनिक आवश्यकता होने पर उन्हें राष्ट्रीय अवकाश सहित किसी भी दिन इयूटी के लिए बुलाया जा सकता है, जिसके बदले में (यदि कोई हो) कमिक अनुबंधों के बीच प्रतिपूरक विश्राम दिया जा सकता है।

d) अनुबंध की वैधता नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी की उपलब्धता अथवा श्रुतपूर्ण सैनिकों को पॉइंट्समैन/गेटमैन के रूप में संलग्न करने की योजना की निरंतरता (जो भी पहले हो) के अधीन होगी। यदि कोई हो, तो कमिक अनुबंधों के बीच उपयुक्त विश्राम सुनिश्चित किया जाएगा।

e) सामान्य परिस्थितियों में, किसी भी पक्ष द्वारा 14 (चौदह) दिन का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अनुबंधित नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। यदि नियुक्त व्यक्ति सौंपे गए कर्तव्यों का संतोषजनक निर्वहन करने में असमर्थ पाया जाता है अथवा प्रशासन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो 14 (चौदह) दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। यदि अनुबंधित व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, अथवा गंभीर लापरवाही, कदाचार, दुराचार, अनुशासनहीनता या अन्य अनियमितताओं में संलग्न पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर—(a) कर्तव्य-10 में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाई, अथवा (b) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के प्रावधानों के अनुसार शिकायत दर्ज करने, अथवा (c) उपयुक्त दोषों के अधीन, बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

f) अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्ति से रेलवे में नियमित समायोजन/विस्तार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

g) दौरे पर रहने की स्थिति में, नियमानुसार दैनिक भत्ता (DA) ₹625/- की दर से देय होगा।

h) इयूटी से अनुपस्थिति की स्थिति में, प्रति दिन के आधार पर अनुपातिक वेतन कटौती की जाएगी। यदि पूर्णकालिक अनुबंधित भूतपूर्व सैनिक 03 दिनों से अधिक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

i) SC/ST/OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जो भूतपूर्व सैनिक उपर्युक्त सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हुए तथा भारतीय रेलवे ट्रैफिक कोड एवं सामान्य नियम (ओपन लाइन) में निर्धारित पाइंट्समैन/गेटमैन के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सहमत हों, उनसे अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रपत्र में विधिवत रूप से पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निम्नलिखित माध्यमों से 26.01.2026 को 23:59 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करें

1. Submit application in prescribed proforma(Annexure 'A') with all relevant documents and send it on Email ID srdporaipur@gmail.com

या

2. Submit online application using the following Google link
<https://docs.google.com/forms/d/1uLiKWRwNlkxKBcH80ngYYad0IH7tTA1cWKSg7ZRJyQ0/edit>

अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह अधिसूचना निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

secr.indianrailway.gov.in > Recruitment/News/Press Release > Recruitment > रायपुर मंडल

- (1) परिशिष्ट-'A' (आवेदन पत्र)
- (2) परिशिष्ट-'B' (पाइंट्समैन/गेटमैन के कर्तव्य)

सहायक कार्मिक अधिकारी रायपुर/

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रायपुर की ओर से/

- तिलिपि प्रेषित: 1. The Director, Directorate of Sainik Welfare Chhattisgarh, Near Office of Chief Medical & Health Officer, Motibag Raod, Shastri Chowk Raipur CG, 492001 for information and wide publicity amongst Ex-Servicemen,
2. District Sainik Welfare Offices of Raipur, Durg, Kanker, Rajnandgaon,
3. PS to PCPO/SECR for kind information of PCPO/SECR
4. PS to DRM for kind information of DRM/Raipur
5. Sr.DOM/R, Sr.DFM/R for kind information pls.
6. OS/IT for uploading the notification in secr.indianrailways.gov.in > Recruitment/News/Press Release > Recruitment > Raipur Division

रायपुर मंडल के यातायात विभाग में संविदा आधार पर गेटमैन/प्लाइड्समैन के रूप में भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र
(अच्छी गुणवत्ता के A-4 आकार के सड़े सफेद कागज पर केवल एक ही ओर टाइप/लिखकर प्रस्तुत करें)

1	नाम											स्वप्रमाणित हालिया आकार का चिपकाएँ/ सहित पासपोर्ट फोटो
2	पिता का नाम											
3	आधार संख्या											
4	पैन संख्या											
5	जन्म तिथि											
6	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि											
7	शैक्षणिक योग्यता											
8	सेवा का प्रकार (यत) (बाबु सेना/नौसेना/सेना)											
9	सैन्य सेवा में रैंक											
10	सैन्य सेवा संख्या											
11	नामांकन की तिथि	शपथअटेस्टेशन की तिथि		सेवा से मुक्त होने की तिथि (डिस्चार्ज)		कुल सेवा अवधि:						
						वर्ष	माह	दिन				
12	सेवा से मुक्त होने का कारण											
13	भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र संख्या											
14	पीओ संख्या पेंशन भुगतान) (संख्या											
15	शारीरिक पहचान चिन्ह: (क)											
	(ख)											
16	स्थायी पता एवं पत्राचार का पता (पिन कोड सहित)											
17	मोबाइल नंबर											

12. सेवा विवरण:

घोषणा (DECLARATION)

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त भरी गई सभी जानकारियाँ सत्य एवं सही हैं। मैंने समपार फाटकों एवं स्टेशनों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों को अती-आंति पढ़ लिया है तथा उन्हीं शर्तों के अनुसार अपनी नियुक्ति के लिए सहमत हूँ। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर है तथा इससे रेलवे में किसी भी प्रकार की नौकरी/लाभ/विशेषाधिकार हेतु कोई वरीयता या अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मुझे यह पूर्ण जानकारी है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार मेरी नियुक्ति/कार्यस्थल रायपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है।

संलग्नक(Encl.):

(1) आधार कार्ड (2) भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र (3) डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (4) पैन कार्ड (5) बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ (6) शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र (केवल मैट्रिक/10वीं/SSLC उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाणपत्र) (7) पीपीओ/सेवा प्रमाणपत्र

स्थान:.....

दिनांक:.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्वाइंट्समैन/गेटमैन के कर्तव्य

सभी संविदा पर नियुक्त गेटमैन/प्वाइंट्समैन को सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखनी होगी तथा प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई प्रक्रियाओं एवं सक्षम पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा, ताकि उनके कर्तव्यों का निर्वहन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ईमानदारी एवं परिश्रमपूर्वक किया जा सके।

प्वाइंट्समैन (Pointsman):

- i) शंटिंग कार्य के दौरान, जिसमें वैगनों/डिब्बों का जोड़ना या अलग करना, रबर वॉशर लगाना, वैगन के दरवाजे बंद करना, हाथ संकेत प्रदर्शित करना आदि शामिल हैं, वह इयूटी पर तैनात एसएम या शंटिंग की निगरानी करने वाले प्रभारी अधिकारी के सभी वैध आदेशों का पालन करेगा।
- ii) यदि शंटिंग संचालन के दौरान क्रॉसिंग अवरुद्ध (फाउल) हो जाए, तो वह शंटिंग की निगरानी कर रहे अधिकारी को खतरे का संकेत प्रदर्शित करेगा।
- iii) असामान्य कार्य प्रणाली की स्थिति में तथा इयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर (एसएम) के आदेश पर वह ट्रेनों का पायलट करेगा।
- iv) इयूटी के दौरान वह उचित, स्वच्छ एवं साफ-सुथरी वर्दी में रहेगा।
- v) वह पूर्ण विश्राम लेकर इयूटी पर आएगा तथा मद्यपान, नशीली दवाओं या किसी भी प्रकार के नशे के प्रभाव में इयूटी नहीं करेगा।
- vi) वह बिना अपने वरिष्ठों की पूर्व अनुमति के न तो इयूटी से अनुपस्थित रहेगा और न ही अपनी इयूटी का आदान-प्रदान करेगा।
- vii) वह उचित रूप से रिलीव किए बिना या अपने वरिष्ठों की अनुमति के बिना इयूटी स्थल नहीं छोड़ेगा।
- viii) वह नॉन-इंटरलॉक्ड यार्ड में पॉइंट्स को सही प्रकार से सेट करेगा तथा सभी शंटिंग गतिविधियों के दौरान उनका संचालन करेगा और जब वाहन खड़े हों या उन पर से गुजर रहे हों, तब पॉइंट्स में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- ix) शंटिंग पूर्ण होने के बाद फाउलिंग मार्क को स्पष्ट/खुला रखने की जिम्मेदारी उसकी होगी।
- x) वह सदैव रात में हैंड सिग्नल लैंप तथा दिन में झंडों से सुसज्जित होकर ही इयूटी प्रारंभ करेगा।
- xi) लोको पायलट को आवश्यक कागजात देने से पूर्व, संबंधित शंट सिग्नल को 'ऑफ' करके या स्वयं निरीक्षण द्वारा मार्ग के सही सेट होने की पुष्टि करेगा।
- xii) ट्रैक फेल होने की स्थिति में वह लाइन की क्लियरेंस सुनिश्चित करने हेतु स्टेशन मास्टर की सहायता करेगा।
- xiii) वह संध्या समय में संकेतकों को जलाने तथा डीआरएम कार्यालय द्वारा निर्धारित समय पर प्रातः उन्हें बुझाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वे रात्रि में पर्याप्त रूप से प्रकाशित रहें।
- xiv) संबंधित स्टेशन के स्टेशन वर्किंग रूल्स के अनुसार अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

गेटमैन (Gateman):

- i) वह ट्रेनों के आवागमन हेतु स्टेशन वर्किंग रूल्स एवं गेट वर्किंग रूल्स के अनुसार फाटक के उचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।



- ii) वह यह सुनिश्चित करेगा कि फाटक ढेर से बंद होने के कारण किसी भी ट्रेन को अनावश्यक ठहराव न हो।
- iii) वह चेक-रेल के चैनलों को साफ रखेगा तथा रेलवे सीमा के भीतर सड़क की सफाई करेगा और क्षेत्र में नियमित रूप से पानी का छिड़काव करेगा।
- iv) वह फाटक के लैंप एवं हाथ संकेत लैंप को प्रतिदिन साफ करेगा ताकि वे ठीक प्रकार से जल सकें।
- v) वह अपने गेट लॉज के आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखेगा तथा झाड़ियाँ, पौधों आदि से उसे सुव्यवस्थित रूप से लगाए रखेगा।
- vi) वह उचित रूप से रिलीव किए जाने तक इयूटी पर सतर्क रहेगा। यदि किसी आपात स्थिति में उसे फाटक छोड़ना आवश्यक हो, तो फाटक छोड़ने से पूर्व सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक की बल्लियों को बंद एवं ताला लगाकर जाएगा।
- vii) वह यह सुनिश्चित करेगा कि समपार (लेवल क्रॉसिंग) पर उपलब्ध सभी उपकरण पूर्ण एवं कार्यशील अवस्था में हों।
- viii) जनता द्वारा शिकायत दर्ज कराने हेतु माँगे जाने पर तथा रेलवे अधिकारियों के निरीक्षण हेतु वह जन शिकायत पुस्तिका प्रस्तुत करेगा।
- ix) वह यह सुनिश्चित करेगा कि फाटक पर सड़क यातायात को अनावश्यक रूप से रोका न जाए।
- x) वह गेट लॉज के पास पटरियों की ओर मुख करके सावधान मुद्रा में खड़ा रहेगा तथा गार्ड द्वारा लोको पायलट को दिए जाने वाले किसी भी संकेत को दोहराने के लिए तैयार रहेगा या यदि ट्रेन में कोई त्रुटि प्रतीत हो तो सावधानी या खतरे का संकेत प्रदर्शित करेगा।
- xi) वह जनता के प्रति अपने व्यवहार में विनम्र एवं शिष्ट रहेगा।
- xii) फाटक में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर वह बिना विलंब इयूटी पर तैनात एसएम को सूचित करेगा।
- xiii) ट्रेन दिखाई देने पर या पैनल इयूटी पर तैनात एसएम के आदेश पर वह फाटक बंद करेगा।
- xiv) ट्रेन के टूटने (ट्राम/ट्रेन पार्टिंग) की स्थिति में वह खतरे का संकेत दिखाने के स्थान पर आवाज़ लगाकर एवं इशारों से लोको पायलट एवं गार्ड का ध्यान आकर्षित करेगा।
- xv) वह इयूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर (एसएम) के सभी वैध आदेशों का पालन करेगा।
- xvi) किसी भी प्रकार की बाधा, दुर्घटना या फाटक को क्षति होने की स्थिति में, वह प्रचलित निर्देशों एवं नियमों के अनुसार फाटक/बाधा की सुरक्षा करेगा।
-

